

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 630 OF 2023

IN THE MATTER OF:

ANAND ARYA

...APPLICANT

VERSUS

UNION OF INDIA AND ORS.

...RESPONDENTS

INDEX

S.NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	RESPONSE ON BEHALF OF SECRETARY, ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE, STATE OF U.P. IN COMPLIANCE TO THE ORDER DATED 12.12.2025 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI	
	ANNEXURES	
2.	COPY OF THE LETTER DT. 08.09.2022 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE R-1	
3.	COPY OF THE LETTER DT. 20.01.2026 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE R-2.	

THROUGH COUNSEL

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Bpsjadon', with a large circular flourish on the left and a long horizontal stroke extending to the right.

BHANWAR PAL SINGH JADON
COUNSEL FOR STATE OF U.P.

Bhanwar09jadon09@gmail.com 9639286572

Date: 31.01.2026

Place: NOIDA



BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 630 OF 2023

IN THE MATTER OF:

ANAND ARYA

...APPLICANT

VERSUS

UNION OF INDIA AND ORS.

...RESPONDENTS

**AFFIDAVIT ON BEHALF OF SECRETARY, ENVIRONMENT, FOREST
AND CLIMATE CHANGE, STATE OF U.P. IN COMPLIANCE TO THE
ORDER DATED 12.12.2025 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL
GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI.**

I, Bhukya Chandrakala, aged about 46 years d/o Bhukya Kishan, presently posted as Secretary, Environment, Forest and Climate Change, State of U.P., do hereby solemnly affirm and state on oath as under:



1. That I, the deponent in official capacity mentioned above, am acquainted with the facts and circumstances of the case and as such I am competent and authorized to swear this affidavit.
2. That I state that the contents of the affidavit have been drafted by my counsel on my instructions and the contents of the same are true to my knowledge and nothing material has been concealed therefrom.
3. That the present matter pertains to conservation and notification of Dhanauri Wetlands in Greater Noida, Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh. That the applicant has prayed to notify the Dhanauri Wetlands, Gautam Buddh Nagar, U.P. as Ramasar site.
4. That the above-captioned matter was last listed for hearing on 12.12.2025, wherein the Hon'ble Tribunal directed as under:
"1. Learned Counsel for State of Uttar Pradesh submits that affidavit of Secretary, Environment and Forest, State of Uttar Pradesh will be filed within two weeks clearly stating if the State is agreeable to forward the proposal to MoEF&CC for declaring the site in question as Ramsar Site.
2. List on 02.02.2026."



5. That in compliance with the aforesaid order it is submitted that a query was made by the Divisional Forest Officer, Gautam Buddh Nagar to YEIDA vide letter dt. 08.10.2025 to confirm whether the proposal for declaring Dhanauri as Ramasar Site can be sent to MOEF&CC. That to the said query YEIDA vide letter dt. 15.10.2025 (*Refer @Pg No. 718 of the Judicial Record*) replied that the proposal relating to the **Dhanuri water body** was placed before the Board of Directors in the Authority's **74th Board Meeting** (agenda and minutes placed before the Board are enclosed). The decision taken by the Board of Directors is as under:

“संचालक मण्डल द्वारा विचारोपरान्त इस संशोधन के साथ प्रस्ताव अनुमोदित किया गया है कि धनौरी जल निकाय को केवल वेटलैण्ड के रूप में ही घोषित करने की एन०ओ०सी० प्रदान की जाये।

(After due deliberation, the Board approved the proposal with the modification that an NOC be granted to declare the Dhanuri water body only as a Wetland.)”

6. (i) That since the said area falls within the notified area of the Yamuna Expressway Industrial Development Authority hence all statutory rights related to planning and development are vested in the Authority.



(ii) That according to Yamuna Expressway Industrial Development Authority's letter dated 08.09.2022, approximately 25.00 hectares of land within the Dhanauri water body and buffer zone area has been acquired by the Authority.

Thus, the Authority is a very important landowner/stakeholder in the area in question.

A Copy of the letter dt. 08.09.2022 has been annexed herewith as **ANNEXURE R-1.**

7. That further, the Chief Executive Officer, Yamuna Expressway Industrial Development Authority, vide letter dated 20.01.2026 addressed to the Principal Secretary, Department of Forest & Environment, Government of Uttar Pradesh, Lucknow, has informed as under:

“भारतीय वन्य जीव संस्थान द्वारा प्रस्तुत संरक्षण परियोजना 25 किमी. त्रिज्या क्षेत्र पर प्रस्तुत की गई है जो कि निर्धारित प्रावधानों के अनुसार 10 किमी. त्रिज्या क्षेत्र पर की जानी वांछित थी। अतः यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा भारतीय वन्य जीव संस्थान को एक पत्र भेजा जा रहा है ताकि वह अपनी योजना में संशोधन कर केवल वैधानिक प्रावधानों के अनुसार क्षेत्र को सम्मिलित करते हुये कार्ययोजना प्रस्तावित करें।

अतः अनुरोध है कि प्राधिकरण बोर्ड के निर्णय के क्रम में ड्राफ्ट महायोजना 2041 में दर्शाये गये प्रस्ताव के अनुसार ही धनौरी जल निकाय को केवल वेटलैण्ड घोषित करने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।”



A Copy of the letter dt. 20.01.2026 has been annexed herewith as **ANNEXURE R-2.**

8. That therefore, in the light of directions of the Hon'ble Tribunal further action regarding forwarding the proposal to MoEF&CC for **declaring the site in question as Ramsar site would be appropriate after the clear consent/NOC of the Yamuna Expressway Industrial Development Authority for declaration of Dhanauri wetland as Ramsar Site.**
9. Hence, the present response is being submitted for the kind perusal of this Hon'ble Tribunal. It is prayed that the same be taken on record.



DEPONENT

VERIFICATION

Verified at NOIDA on this 31st day of January, 2025, that the contents of the above affidavit from paragraphs 1 to 9 are believed to be true



and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.



DEPONENT



31 JAN 2026

ATTESTED
K.P. YADAV
NOTARY PUBLIC
NOTARY PUBLIC
K.P. YADAV
ATTESTED

6/22/22



यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण

एन.ए. सी.डी.डी. को.पे.वा. पी.टी. रोड, बी.पी.ए. 1, गेट नगर, जयपुर-गोवाम पु. नगर (को.पे.वा.)

पत्रांक/माई08050/Plng/85/2022

दिनांक-08.05.2022

सेवा में

प्रभागीय वनाधिकारी
गौतमबुद्ध नगर थान प्रभाग
गौतमबुद्ध नगर।



विषय-यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सेक्टर-18 में स्थित धनौरी जल निकाय के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में कार्यालय प्रभागीय वन अधिकारी, गौतमबुद्ध नगर के पत्रांक-4944/355/गौतमबुद्ध नगर दिनांक-06/05/2022 तथा पत्रांक-882/32-5 दिनांक-04.08.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसमें पत्र दिनांक-08.05.2022 के क्रम में यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा कार्यालय प्रभागीय वन अधिकारी, गौतमबुद्ध नगर को प्राधिकरण द्वारा पत्रांक-वाई.ई.ए./Plng/1177/2022 दिनांक-09.06.2022 प्रेषित किया गया। अद्यतन कराना है कि धनौरी जल निकाय को वेटलैण्ड घोषित कराने सम्बन्ध में प्रस्ताव प्राधिकरण की 74वीं बोर्ड बैठक में संचालक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया गया (प्राधिकरण बोर्ड में प्रस्तुत एजेण्डा व कार्यवृत्त संलग्न)। जिसके क्रम संचालक मण्डल द्वारा लिया गया निर्णय निम्नवत है-

“संचालक मण्डल द्वारा विचारोपरान्त इस संशोधन के साथ प्रस्ताव अनुमोदित किया गया कि धनौरी जल निकाय को केवल वेटलैण्ड के रूप में ही घोषित करने की एन0ओ0सी0 प्रदान की जाये।”

उल्लेखनीय है कि परामर्शदाता संस्था द्वारा ड्राफ्ट महायोजना-2041 की रिपोर्ट उपलब्ध करायी गयी है जिसमें धनौरी जल निकाय का कुल क्षेत्रफल-46.35 हेक्टेयर दर्शाया गया है तथा धनौरी जल निकाय के चारों तरफ बफर जोन के रूप में लगभग 66.54 हेक्टेयर एरिया (जल निकाय व बफर जोन एरिया 112.89 हेक्टेयर) प्रदर्शित किया गया है। कुल जल निकाय व बफर जोन एरिया 112.89 हेक्टेयर में से लगभग 25 हेक्टेयर भूमि प्राधिकरण की अधिग्रहित भूमि है। जिसके अधिग्रहण में प्राधिकरण द्वारा व्यय किया गया है।

प्राधिकरण बोर्ड के निर्णय के क्रम में ड्राफ्ट महायोजना-2041 में दर्शाये गये प्रस्ताव अनुसार ही धनौरी जल निकाय को मात्र वेटलैण्ड घोषित कराने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(डा० अरुणधीर सिंह)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

12/05/22

सं-123/81-4-26



पत्रांक : आई.ई.ए./A/C-Hort/2025-26/1247/CFO

दिनांक : 20/01/2026

प्रेषक

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण

सेवा में,

प्रमुख सचिव
वन एवं पर्यावरण विभाग -
उ० प्र० शासन लखनऊ उ० प्र०

विषय:- यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सेक्टर-18 में स्थित धनौरी जल निकाय के सम्बन्ध में।

महोदय,

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम धनौरी में स्थित जल निकाय को वेटलैण्ड (रामसर) अधिसूचित करने के संबंध में एन.जी.टी. में योजित वाद ओ०ए० सं०-630/2024 पर कार्यवाही की जानी है। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की 74वीं बोर्ड बैठक दिनांक 24.08.2022 में इस विषय पर विचार विमर्श किया गया तथा निम्नलिखित निर्देश दिये गये:-

“ संचालक मंडल द्वारा विचारोपरान्त इस संशोधन के साथ प्रस्ताव अनुमोदित किया गया कि धनौरी जल निकाय को केवल वेटलैण्ड के रूप में ही घोषित करने की एन.ओ.सी. प्रदान की जाये। ”

उपरोक्तानुसार निम्नलिखित कार्यवाही की जानी प्रस्तावित है:-

1. धनौरी जल निकाय को Wetlands Conservation & Management rules 2017 के नियम-7 के अन्तर्गत वेटलैण्ड अधिसूचित किया जाना है। 74वीं बोर्ड बैठक में सम्यक विचारोपरान्त लिए गये निर्णय के क्रम में वेटलैण्ड घोषित किये जाने की प्रक्रिया में प्रथम चरण में केवल दलदलीय भूमि जल निकाय (46.35 है०) भूमि को वेटलैण्ड घोषित किया जाना उचित होगा। (संलग्नक - 1. प्रभागीय वन अधिकारी का पत्र दिनांक 23.05.2022, 2. यीडा से धनौरी वेट लैण्ड के सम्बन्ध में प्रेषित पत्र दिनांक 08.08.2022, 3. 74वीं. बोर्ड बैठक का एजेण्डा मद संख्या (74/28), 4. 74वीं. बोर्ड बैठक का कार्यवृत्त मद संख्या (74/28) दिनांक 24.08.2022, 5. मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी को प्रेषित पत्र दिनांक 08.09.2022)
2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र दिनांक 09.03.2020 के माध्यम से पर्यावरणीय स्वीकृति के क्रम में भारतीय वन्य जीव संस्थान (WII) द्वारा प्रस्तुत संरक्षण परियोजना 25 किमी. त्रिज्या क्षेत्र पर प्रस्तुत की गई है जोकि निर्धारित प्रावधानों के अनुसार 10 किमी त्रिज्या क्षेत्र पर की जानी वांछित थी। अतः यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा भारतीय वन्य जीव संस्थान (WII) को एक पत्र भेजा जा रहा है ताकि वह अपनी योजना में संशोधन कर केवल वैधानिक प्रावधानों के अनुसार क्षेत्र को सम्मिलित करते हुये कार्ययोजना प्रस्तावित करें।

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्रथम तल, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, सेक्टर ओमेगा-1, (पी-2) बिल्डर्स एरिया, ग्रेटर नौरठा, गीतमबुद्धनगर (उ०प्र०)
दूरभाष न० - 0120 - 2396152, 57

27.1.26



अंतः अनुरोध है कि प्राधिकरण बोर्ड के निर्णय के क्रम में ड्राफ्ट महायोजना-2041 में दर्शाये गये प्रस्ताव के अनुसार ही धनीरी जल निकास को केवल वैटलैण्ड घोषित करने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(राकेश कुमार सिंह)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्रथम तल, कॉमर्शियल थॉम्पसेमस, सेक्टर ओमेगा-1, (पी-2) बिल्डर्स एरिया, गेट नोएडा, गौतमबुद्धनगर (उ.प्र.)
दूरभाष नं० - 0120 - 2395152, 57